

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सवाई माधोपुर  
पीठासीन अधिकारी- जीतेन्द्र सिंह नरूका

सिविल प्रकरण संख्या:- 36/2016

तारीख रजू 21.10.2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।  
.....आवेदक

**बनाम**

1. चौथमल राव पुत्र प्रहलाद राव निवासी रणथम्भौर किला सवाई माधोपुर (फर्म मालिक एवं खाद्य कारोबार कर्ता) मैसर्स चौथमल प्रहलाद राव रणथम्भौर किला सवाई माधोपुर, जिला सवाई माधोपुर  
..... अभियुक्तगण

न्याय निर्णयन आवेदन अन्तर्गत धारा 68 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम,  
2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)

निर्णय:-

दिनांक 29/02/2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी सवाई माधोपुर (आवेदक) ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक दिनांक 18.05.2016 को समय 02.00 पी.एम. पर मैसर्स चौथमल प्रहलाद राव रणथम्भौर किला सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर पर पहुंचा वहाँ पर चौथमल राव पुत्र प्रहलाद राव (फर्म मालिक एवं खाद्य कारोबार कर्ता) निवासी रणथम्भौर किला सवाई माधोपुर, जिला सवाई माधोपुर मिला, जिसको आवेदक द्वारा अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया एवं आवेदक द्वारा विक्रेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन/खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति मांगी विक्रेता द्वारा खाद्य अनुज्ञापत्र की प्रति पेश की तत्पश्चात विक्रेता की उपस्थिति में दुकान का निरीक्षण किया विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ **Besan ke Laddu (Prep. From Besan, Sugar and Ghee)** लगभग 80 किलोग्राम दुकान में रटील की ट्रे में रखे हुए थे, के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना फार्म नम्बर 5ए, की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली गयी। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ **Besan ke Laddu (Prep. From Besan, Sugar and Ghee)** 2 किलोग्राम वास्ते नमूना जाँच हेतु कय कर राशि 500/- रुपये नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ **Besan ke Laddu (Prep. From Besan, Sugar and Ghee)** 2 किलोग्राम को चार बराबर भागों में विभक्त कर कांच की शिशियों में भरकर 40-40 बूंदे फार्मेलीन की डालकर अच्छी तरह से बन्द किया तथा आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये, जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक-एक लेबल चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लपेटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर रिलफ कर्मांक एच 913 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर कर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार

न्याय निर्णयन अधिकारी  
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट  
सवाई माधोपुर

सील चापड़ी किया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर रिलिफ व रेशर दोनो आवें एवं सीलबंद नमूनों पर गावाहों के हस्ताक्षर कसकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विकेता एवं गावाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहे जितसे विकेता **वैशमल राव पुत्र प्रहलाद राव** ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबंद कर सील मोहर कर एवं 02 प्रति फार्म नम्बर 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में कैलाश चन्द सैन वाहन चालक द्वारा खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा करवाकर अलग-अलग रसीद प्राप्त की गई। दो सील बंद नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियाँ के आउटर कवर में सील बंद कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नम्बर 6 की प्रति के डी.ओ. (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) स्वाईम्नाथपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वाई म्नाथपुर के पत्रांक /एफएसएसए/2016 /1711 दिनांक 01.07.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जॉब रिपोर्ट संख्या एलएस/1486/एक्ट/2016/2217 दिनांक 10.06.2016 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जॉब विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Besan ke Laddu (Prep. From Besan, Sugar and Ghee)** सबस्टेण्डर्ड (Substandard) पाया गया।

उक्त प्रकरण में अभियुक्त ने **सबस्टेण्डर्ड (Substandard)** खाद्य पदार्थ **Besan ke Laddu (Prep. From Besan, Sugar and Ghee)** का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है। अन्त में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वाई म्नाथपुर द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र स्वीकार कर अभियुक्त के विरुद्ध अधिकतम शास्ति राशि अधिसूचित करने हेतु निवेदन किया गया।

न्याय निर्णयन आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज सजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त रतयं उपस्थित हुये तथा जवाब प्रस्तुत किया गया। अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्त की बहस सुनी गयी।

अभियोजन अधिकारी ने न्याय निर्णयन आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया है कि अभियुक्त द्वारा **सबस्टेण्डर्ड (Substandard)** प्रकृति के खाद्य पदार्थ **Besan ke Laddu (Prep. From Besan, Sugar and Ghee)** का विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक दण्डित किया जावे।

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जवाब/बहस में अपनी विक्रय की गयी खाद्य सामग्री **Besan ke Laddu (Prep. From Besan, Sugar and Ghee)** को नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण निम्न स्तर की माना जाकर रतयं द्वारा जुर्मा स्वीकार किया है तथा न्यूनतम शास्ति के तपुड से दण्डित करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस सुनने व आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन व दर्स्तावेजगत का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/1586/एक्ट/2016/2217 दिनांक 10.06.2016 के अनुसार विक्रेता द्वारा वरस्ते नमूना जॉय विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Besan ke Laddu (Prep. From Besan, Sugar and Ghee)** सबस्टेण्डर्ड (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) ) पाया है जिसको अभियुक्त द्वारा स्वयं ने अपने जवाब में स्वीकार किया है।

उक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की उप धारा 26 (2)(ii) अपराध कारित करने का दोषी माना जाकर दोष सिद्ध अपराधी करार दिया जाता है तथा उक्त आपराधिक कृत्य के कारित करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम,2011 के नियम 51 के अन्तर्गत आर्थिक शास्ति राशि के दण्ड से दण्डित किये जाने का प्रावधान प्रावधित है।

अतः अभियुक्तगण को अवमानक (Substandard) (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) प्रकृति के खाद्य पदार्थ **Besan ke Laddu (Prep. From Besan, Sugar and Ghee)** का विक्रय व निर्माण करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 51 के अन्तर्गत अभियुक्त पर **15,000**.....रु0 (अधारे **पन्धर**.....हजार रुपये) की आर्थिक शास्ति राशि अधिशोषित करने के दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्त को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस के अन्दर-अन्दर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर के पक्ष में देय राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी रेखांकित ड्राफ्ट न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर को जमा करावें, अन्यथा गुजरने मियाद अभील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को तथा एक प्रति अभियुक्त को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 29.02.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(जीतेन्द्र सिंह नरूका)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सवाई माधोपुर